

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग।

आदेश

सं०सं०-4/श्र०सां०मू०-203/2015 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति, 2015 के निर्माण एवं कार्यान्वयन हेतु समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय), बिहार, पटना से प्राप्त पत्र संख्या-10/महिला-शिशु-म०स०नीति -07/2015-566, दिनांक-30.03.15 के आलोक में श्रीमती इन्दु सिंह, उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

प्रस्ताव में सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक-4/श्र०सां०मू०-203/2015

ह०/-
विशेष कार्य पदाधिकारी।
पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या-10/महिला-शिशु-म०स०नीति -07/2015-566, दिनांक-30.03.15 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-4/श्र०सां०मू०-203/2015

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- श्रीमती इन्दु सिंह, उप सचिव-नोडल पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-4/श्र०सां०मू०-203/2015 - 1354

पटना, दिनांक- 18/05/2015

प्रतिलिपि-श्रमायुक्त, बिहार/अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण(दो प्रति में)/आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।